भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2255

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग नीति की स्थिति

†2255. श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की 2014 में प्रारम्भिक सिफ़ारिश के बावजूद सरकार फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग (एफ़ओपीएल) नीति को अंतिम रूप नहीं दे पाई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने एफ़ओपीएल के संबंध में अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत कर दी हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गई थी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 2014 से अब तक एफ़ओपीएल के संबंध में उक्त प्राधिकरण द्वारा किए गए अध्ययनों, परामर्शों और अन्य प्रक्रियाओं का उनमें से प्रत्येक पर हुए व्यय सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा दिनांक 13 सितंबर, 2022 को फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग (एफओपीएनएल) मॉडल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) संशोधन विनियमन, 2020 का मसौदा हितधारकों की टिप्पणियों के लिए अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई द्वारा फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग (एफओपीएनएल) पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत की गई है और मामला विचाराधीन है।

एफएसएसएआई ने एफओपीएनएल पर दो प्रमुख अध्ययन करवाए, अर्थात् "पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व (वसा, चीनी, सोडियम) मात्रा की सीमा अध्ययन" और "फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग पर उपभोक्ता की धारणा के आकलन के लिए सर्वेक्षण आधारित अध्ययन"।

*****